

एमपीटीसी 42 . से

[सहायक नियम 372 देखें]

पेंशन का निर्धारण करने वाले गैर-अवधि के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रमाण पत्र

| पेंशन भुगतान आदेश संख्या       |  |
|--------------------------------|--|
| प्रमाण पत्र कि घटना, अर्थात्   |  |
|                                |  |
| जो की पेंशन निर्धारित करता है। |  |
| नहीं हुआ है।                   |  |
| स्टेशन(हस्ताक्षर)              |  |
| दिनांक(पदनाम)                  |  |

एमपीटीसी 42 . से 3 का पेज 1



फॉर्म एमपीटीसी 42—ए (एसआर 374-ए देखें)

## आवेदन पत्र

(राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1966) स्वर्गीय श्री/श्रीमती के परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन ..... ......ए (पदनाम)..... के कार्यालय/विभाग में। ..... 1. आवेदक का नाम मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी से संबंध। 3. सेवानिवृत्ति की तिथि, यदि मृतक पेंशनभोगी था। 4. सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि। नाम 5. मृतक के जीवित स्वजनों के नाम और आयु (जन्म तिथि द्वारा क्रिसिटन युग खिड़की / विधुर बेटों अविवाहित बेटियां। 6. कोषागार/उप-कोषागार का नाम जिस पर भुगतान किया गया है 7. हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (उन लोगों के मामले में जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं हैं) देर से ...... के नाबालिग बच्चों की विधवा / विधुर / अभिभावक की वर्णनात्मक (i) जन्म तिथि (ईसाई युग के अनुसार) (ii) हाइट (iii) हाथ या चेहरे पर व्यक्तिगत निशान, यदि कोई हो। (iv) बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान। तर्जनी अँगूठा छोटी अनामिका मध्यमा अंगुली की उंगली आवेदक का पूरा पता। उँगलिया। 9. गवाह-द्वारा प्रमाणित- (1) (2) (1) (2)

नोट- वर्णनात्मक रोल (कॉलम 8) और हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे के निशान परिवार पेंशन के लिए आवेदन दो प्रतियों में होना चाहिए (दो अलग-अलग शीट में और दो राजपत्रित अधिकारियों या शहर, गांव या तहसील में सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित) जिसमें आवेदक रहता है।

एमपीटीसी 42 . से 3 का पेज 2



फॉर्म एमपीटीसी 42-बी

(एसआर 374-ए देखें)

| से               |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | कोषाध्यक्ष अधिकारी,   |  |
|                  |   |  |
| प्रति,           |   |  |
|                  | महालेखाकार,   |  |
|                  |   |  |
|                  |   |  |
|                  | दिनांक  |  |
|                  |   |  |
| विषय राज्य       | सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1966 का चयन करने वाले पेंशनभोगी की मृत्यु के संबंध में सूचना। |  |
|                  |   |  |
| oftener          |   |  |
| श्रीमान,         |   |  |
|                  | मुझे आपको सूचित करना है कि श्री/श्रीमती   |  |
| कौन              |   |  |
| इस कोषागार/      | /उप-कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था, को मृत्यु हो गई।<br>   |  |
|                  |   |  |
|                  | 2. का पहला भुगतान रुपये की दर से पारिवारिक पेंशन  |  |
|                  | से अवधि के लिए किया गया है ट्रेजरी वाउचर नंबर दिनांक  |  |
|                  | । और के लिए पेंशन भुगतान अनुसूची में शामिल है। उक्त भुगतान करने से पहले, मृत्यु                               |  |
| गान्द्राम में ि॰ | र्धारित प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज  |  |
|                  | धारत प्रमाण पत्र, आवदन पत्र आर अन्य दस्तावज<br>दिनांक कार्यालय ज्ञापन / पत्र संख्या दिनांक                    |  |
|                  | दावेदार से प्राप्त कर लिया गया है और आवश्यक होने के बाद स्वीकार कर लिया गया है।                               |  |
|                  | पहचान और शीर्षक के बारे में भी खुद को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट किया है।                                       |  |

एमपीटीसी 42 . से पेज 3 का 3